



2026:AHC:55529

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 48139/2025

राजीव पचौरी

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विरोधी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रविकांत शुक्ल

विरोधी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए., ओम प्रकाश प्रजापति

न्यायालय संख्या – 80

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. पूरक हलफनामा विरोधी पक्ष संख्या 2 द्वारा दायर किया गया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रविकांत शुक्ला, राज्य के विद्वान एजीए और विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश प्रजापति को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत विद्वान अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) द्वारा पारित दिनांक 19.09.2024 का आक्षेपित समन आदेश, जिला झांसी मुकदमा संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



49/2022 (मुकेश प्रजापति बनाम राजीव पचौरी और अन्य), भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 384, पुलिस स्टेशन – कोतवाली, जिला – झांसी, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डीए), जिला झांसी के समक्ष लंबित है जिसको रद्द करने की मांग करने के लिए दायर किया गया है।

4. इस न्यायालय के समक्ष पक्षकारों ने अनुरोध किया था कि उन्होंने इस मामले में समझौता कर लिया है और उनके बीच के सभी विवादों को सुलझा लिया है और अब वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पक्षों के बीच किया गया समझौता इस मामले के सूचक पर किसी भी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के बिना किया गया है और यह पक्षों की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है।

6. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त तर्कों पर विवाद नहीं कर सके और कहा कि यदि आवेदक के खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

7. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 07.01.2026 के आदेश के माध्यम से विद्वान ट्रायल कोर्ट को दोनों पक्षों की उपस्थिति में समझौता विलेख को सत्यापित करने का निर्देश दिया और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.01.2026 के आदेश के अनुपालन में, विद्वान विचारण न्यायालय ने 24.02.2026 को अपनी सत्यापन रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

8. अभिलेख के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों के बीच समझौता शिकायतकर्ता-विरोधी पक्ष संख्या 2 की स्वतंत्र इच्छा और सहमति का परिणाम है, बिना किसी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि चूंकि पक्षों ने समझौता किया है जिसे विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, अब इस मामले में जारी रखने के लिए कुछ भी नहीं है।

10. पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से तय है। (1) *बीएस जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य: (2003) 4 एससीसी 675; (2) निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो : (2008) 9 एससीसी 677; (3) मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य: (2008) 16 एससीसी 1; (4) ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य: (2012) 10 एससीसी 303; (5) शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: 2013 (83) एससीसी 278 और (6) परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई उर्फ भीमसिनभाई करमूर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य: (2017) 9 एससीसी 641* के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जिन मामलों में पक्षकारों ने अपनी शिकायतों का निपटान किया है, उन्हें रद्द किया जा सकता है।

11. इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून अच्छी तरह से स्थापित है, वर्तमान मामला इस न्यायालय द्वारा विद्वान अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) द्वारा पारित 19.09.2024 के आक्षेपित समन आदेश जिला झांसी मामले में मुकदमा संख्या 49/2022 (मुकेश प्रजापति बनाम राजीव पचौरी और अन्य), भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 384 के तहत, पुलिस स्टेशन – कोतवाली, जिला – झांसी, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), जिला झांसी के समक्ष लंबित मामले को रद्द करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक अच्छा मामला है।

12. तदनुसार, वर्तमान आवेदन की अनुमति है।

13. इसलिए, विद्वान अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.) द्वारा पारित दिनांक 19.09.2024 को आक्षेपित पारित समन आदेश, जिला झांसी मुकदमा संख्या 49/2022 (मुकेश प्रजापति बनाम राजीव पचौरी और अन्य), भारतीय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दंड संहिता की धारा 323, 342, 384 के तहत, पुलिस स्टेशन – कोतवाली, जिला – झांसी, अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (डी.ए.ए.), जिला झांसी के समक्ष लंबित है, एतद्द्वारा समझौते के संदर्भ में रद्द कर दिया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

18/03/2026

आरएमके

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”